


दिनांक	आज्ञा पत्र	
१५.१.२५	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी महोदय आज्ञा... १०/११/२५ पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक १०/११/२५ को करा ले।</p>	
13.10.25	<p>मिथल जलवी ५१.५५१ एपीलाट ई/११/२५</p> <p>पत्रावली पेश। अपीलाट/रेस्पोंडेंट अधिवक्ता जाहिर किया है कि यह अपील धार २१२ में पारित आदेश के विरुद्ध धारा २२५ में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में भूलवाद का निष्कारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में भूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कभ होकर बाद तरजीब तकमीद दाखिल इफतर हो।</p>	
13.10.25	<p>मिथल जलवी ५१.५५१ एपीलाट ई/११/२५</p> <p>पत्रावली पेश। अपीलाट/रेस्पोंडेंट अधिवक्ता जाहिर किया है कि यह अपील धार २१२ में पारित आदेश के विरुद्ध धारा २२५ में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में भूलवाद का निष्कारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में भूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कभ होकर बाद तरजीब तकमीद दाखिल इफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन) </p>	<div data-bbox="1149 1545 1452 1848" data-label="Image"> </div>